मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

मीरा **बनाम** सुलोचना आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 68/2021

निर्णय दिनांक :– 17-11-2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं० 1 to 3 की ओर से वकील राममूर्ति तारड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही भोरखा के खाता सं० 127/530 के खसरा सं० 854 की 7.537 है० बाराना खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 सुलोचना के नाम 1/8 हिस्सा व रोही भोरखा के खाता सं० 128/531 के खसरा सं० 54, 69, 71, 174, 179 कुल 26.785 है० बाराना खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अकेला प्रतिवादी सं० 1 सुलोचना के बजाय वादी मीरा, प्रतिवादी सं० 1 सुलोचना, प्रतिवादी सं० 2 सुमन, प्रतिवादी सं० 3 संजु को हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17 ... की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.29 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner